

यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजनान्तर्गत प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 5-8-2008 को सम्पन्न नवी बैठक का कार्यवृत्त-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए-

- 1- श्री नितिन आर0 गोकर्ण, निदेशक, यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 2- श्री नवनीत सहगल, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- सुश्री रेखा गुप्ता, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय।
- 4- श्री सूर्य प्रकाश मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- श्री छत्रपाल, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- श्री राजेन्द्र प्रसाद, सयुक्त निदेशक, सूडा।
- 7- श्री एच0एन0पी0 कुशवाहा, अनुसचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8- श्री वी0के0चौरसिया, सहायक सलाहकार, सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 भारत सरकार।
- 9- सुश्री दमयन्ती गोयल, मा0 महापौर, नगर निगम गाजियाबाद।
- 10- श्री ए0के0श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 11- श्री ए0के0गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय निदेशालय।
- 12- श्री एन0आर0वर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 लखनऊ।
- 13- ~~श्री आर0के0 सिंह, उपाध्यक्ष मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण।~~
- 14- श्री डी0पी0शुक्ला, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद वृन्दावन।
- 15- श्री राशिद अहमद, पब्लिक हेल्थ इंजिनियर, पी0एम0यू0 स्थानीय निकाय नि0, लखनऊ।
- 16- श्री आर0एन0 डे, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 17- श्री बी0एल0 गौतम, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
- 18- श्री सुरेश चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
- 19- श्री बी0पी0 शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0प्र0 जल निगम।
- 20- श्री रमा कान्त प्रोजेक्ट मैनेजर, मानसी गंगा, उ0प्र0 जल निगम।
- 21- श्री मो0 यूसुफ, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।
- 22- श्री कुंवर पाल सिंह, जी0एम0, आगरा।
- 23- श्री आर0 के0 पंकज, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, मथुरा।
- 24- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उ0प्र0 जल निगम।
- 25- श्री प्रदीप कुमार, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, गाजियाबाद।
- 26- श्रीमती मंजू गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता (जल), नगर निगम, गाजियाबाद।
- 27- श्री बी0वी0एल0एन0 शर्मा, सी0टी0सी0पी0 लखनऊ।
- 28- श्री जे0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 29- श्री निजामुद्दीन खॉं, प्रोजेक्ट अभियन्ता, वाई0ए0पी0, आगरा।
- 30- श्री ओ0एम0 कदम, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

बैठक में निदेशक यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा पूर्व में

→ (श्री गुप्ता)

दृष्टा उपरोक्त के अतिरिक्त काज ' A ' B ' पल

की कार्यवाही के लिए

495
Encl.

1- X

(Crabtree)
write up
board meeting
to circulate
u
photocopy
नगर 11/19

AS
19/19

चतुर्थ राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में स्वीकृत 10 परियोजनाओं की प्रथम किशत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है तथा शीघ्र ही उक्त परियोजनाओं की प्रथम किशत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

2- बैठक में निदेशक य०आई०डी०एस०एम०टी द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा जिन परियोजनाओं की प्रथम किशत अवमुक्त की गयी है उन योजनाओं की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किशत उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाये जिससे कि उन योजनाओं को अधिक से अधिक धनराशि भारत सरकार से प्राप्त की जा सके जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं में 70 प्रतिशत धनराशि उपभोग हो चुकी है उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार को उपलब्ध कराते हुए, द्वितीय किशत प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ)

3- बैठक में निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा समिति के समक्ष निम्नलिखित तीन परियोजनाएँ प्रस्तुत की गईं। बैठक में संबंधित नगरीय निकाय एवं उ०प्र० जल निगम द्वारा परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:-

(i) नगर पालिका परिषद वृन्दावन द्वारा किए प्रस्तावित ड्रेनेज परियोजना का प्रस्तुतिकरण उ०प्र० जल निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया। उक्त योजना 2501.00 लाख रु० की जल निगम द्वारा तैयार की गयी है जिसके सापेक्ष राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा रु० 2190.40 लाख की संस्तुति की गयी है। बैठक में योजना पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि योजना का सी०पी०एच०ई०ओ० भारत सरकार के सहायक सलाहकार श्री वी०के०चौरसिया द्वारा तकनीकी परीक्षण करने के पश्चात् रु० 2195.16 लाख की धनराशि मूल्यांकित की गई है। उक्त मूल्यांकित धनराशि पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है।

(ii) नगर पालिका परिषद वृन्दावन द्वारा प्रस्तावित सीवरेज योजना का प्रस्तुतिकरण उ०प्र० जल निगम द्वारा किया गया, जिस पर समिति द्वारा इस बिन्दु पर विचार किया गया कि बिना पेयजल व्यवस्था के सीवरेज योजना का कियान्वयन उचित नहीं होगा। इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि पेयजल योजना के संबंध में राज्य सेक्टर से स्वीकृति हो चुकी है। राज्य स्तर से स्वीकृत योजना के कियान्वयन के पश्चात् नगर में सी०पी०एच०ई०ओ० के मानकों के अनुसार जलापूर्ति उपलब्ध हो जायेगी। उ० प्र० जल निगम द्वारा रु० 9181.16 लाख की प्रस्तुत सीवर योजना पर राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा धनराशि रु० 7985.00 लाख की संस्तुति की गयी है। बैठक में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि योजना का परीक्षण सी०पी०एच०ओ० से कराने के पश्चात् रु० 6077.00 लाख की धनराशि मूल्यांकित की गई है। उक्त मूल्यांकित धनराशि में से 3463.00 लाख रुपये का व्यय वृन्दावन नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत

पड़ने वाले नगर क्षेत्र पर तथा अवशेष रु0 2624.00 लाख नगर क्षेत्र के बाहर पड़ने वाले सीवरेज की व्यवस्था पर आंकलित किया गया है। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नगर सीमा के अन्तर्गत आने वाला व्यय इस योजना से तथा नगर सीमा से बाहर पड़ने वाली सीवरेज व्यवस्था पर आने वाला व्यय भार मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाये। मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा सहमति प्रदान भी की गई है।

- (iii) नगर निगम गाजियाबाद द्वारा प्रस्तावित पेयजल योजना उ0प्र0 जल निगम के माध्यम से तैयार कराते हुए रु0 8409.67 लाख की योजना प्रस्तुत की गयी। उक्त योजना का मूल्यांकन परियोजना एवं रचना मूल्यांकन प्रभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा भी किया जा चुका है तथा प्रभाग द्वारा भी इस योजना के अन्तर्गत रु0 8185.90 लाख की संस्तुति की गयी थी जिसके सापेक्ष राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा रु0 7177.59 लाख की संस्तुत की गयी है। समिति द्वारा योजना पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि योजना का परीक्षण सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 से कराने के पश्चात् जो धनराशि मूल्यांकित की जायेगी उस मूल्यांकित धनराशि पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है।

4- बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया सप्तम राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 3-3-2008 एवं अष्टम बैठक दिनांक 28-3-2008 को आयोजित की गयी थी, उन बैठकों में भारत सरकार के प्रतिनिधि न होने के कारण, उक्त बैठकों के कार्यवृत्त को मान्य नहीं किया गया है। उक्त बैठकों में प्रस्तुत परियोजनाओं को भी इस बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये-

(1) नगर पालिका परिषद बलरामपुर की पेयजल योजना-

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद बलरामपुरकी पेयजल योजना धनांक 774.250 लाख के सापेक्ष रु0 702.57 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 616.29 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) नगर पालिका परिषद बिजनौर की पेयजल योजना-

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद बिजनौर की पेयजल योजना धनांक 1498.05 लाख के सापेक्ष रु0 1273.91 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 1119.77 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

(3) नगर पालिका परिषद नवाबगंज(बाराबंकी) की पेयजल योजना-

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद नवाबगंज (बाराबंकी) की पेयजल योजना धनांक 273.70 लाख के सापेक्ष रु0 255.18 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेंसी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 219.45 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

(4) नगर पालिका परिषद बदायूँ की पेयजल योजना-

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद बदायूँ की पेयजल योजना धनांक 1450.361 लाख के सापेक्ष रु0 1313.84 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेंसी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 1151.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

(5) नगर पालिका परिषद मऊ की पेयजल योजना-

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद मऊ की पेयजल योजना धनांक 708.57 लाख के सापेक्ष रु0 642.44 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेंसी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 555.93 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

(6) नगर पालिका परिषद महाराजगंज की पेयजल योजना-

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद महाराजगंज की पेयजल योजना धनांक 191.25 लाख के सापेक्ष रु0 169.44 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेंसी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 145.71 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

(7) नगर पालिका परिषद देवरिया की पेयजल योजना-

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद देवरिया की पेयजल योजना धनांक 1390.81 लाख के सापेक्ष रु0 1252.51 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेंसी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 1104.06 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

(8) नगर पंचायत ज्ञानपुर की पेयजल योजना-

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पंचायत ज्ञानपुर की पेय जल योजना धनांक 130.23 लाख के सापेक्ष रु0117.78 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेंसी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 101.29 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

(9) नगर पालिका परिषद भिन्गा (श्रावस्ती) की पेयजल योजना-

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद भिन्गा (श्रावस्ती) की पेयजल योजना धनांक176.13 लाख के सापेक्ष रु0159.57लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेंसी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 141.19 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

(10) नगर पंचायत चन्दौली की पेयजल योजना-

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पंचायत चन्दौली की पेय जल योजना धनांक 561.92 लाख के सापेक्ष 509.06 लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेंसी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 446.54 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।


5- उपरोक्त के अतिरिक्त एस0एल0एस0सी0 की आठवीं बैठक में प्रस्तुत योजनाओं में से समिति द्वारा मात्र सहारनपुर पेयजल योजना पर विचार किया गया। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर पालिका परिषद सहारनपुर की पेय जल योजना धनांक 6148.07 लाख के सापेक्ष धनांक 5510.03लाख की अनुमोदित की गयी है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस लागत में 12.50 प्रतिशत जल निगम का सेन्टेज भी जोड़ा हुआ है जो योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेंसी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 4882.16 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

6- एस0एल0एस0सी0 की सप्तम बैठक में प्रस्तुत लखीमपुर पेयजल योजना उ0प्र0 जल निगम द्वारा धनांक 1503.90 लाख रु0 की तैयार की गयी है जिस पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन द्वारा रु0 1358.12 लाख की संस्तुति की गयी जिसके सापेक्ष राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा रु0 1209.31 लाख रु0 की संस्तुति की गयी थी। अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेंसी द्वारा संस्तुत धनराशि रु0 1209.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

(7) एस0एल0एस0सी0 की सप्तम बैठक में प्रस्तुत प्रतापगढ़ पेयजल योजना उ0प्र0 जल निगम द्वारा धनांक 1091.060 लाख रु0 की तैयार की गयी है जिस पर

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन द्वारा रू0 966.37 लाख की संस्तुति की गयी राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा रू0 859.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, अतः समिति द्वारा स्टेट लेविल नोडल एजेंसी द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 859.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।



(एस0आर0 लाखा)

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5


संख्या- 6464 / नौ-5-2008-51सा/05टीसी

लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अवलोकनार्थ उनके निजी सचिव को।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/पर्यावरण/वित्त/नियोजन/आवास एवं शहरी नियोजन/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. प्रतिनिधि, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. प्रतिनिधि, आईएफ डिवीजन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. प्रतिनिधि, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. प्रतिनिधि, सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. प्रतिनिधि, टी0सी0पी0ओ0, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. प्रतिनिधि, एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली।
- ✓ 11. निदेशक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी0एम0यू0), इन्दिरा भवन, लखनऊ।
12. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
13. उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा उ0प्र0।
14. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(एस0आर0 लाखा)

प्रमुख सचिव।

175
11/7/20
W
4/12

यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजनान्तगत प्रमुख साचव, नगर विकास विभाग, नगर निगम, नरसिंहाबाद
की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 07.11.08
को सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम के सभागार में सम्पन्न 10वीं बैठक
का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति:-

1. श्री नवनीत सहगल, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री आर0पी0 सिंह, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा, विशेष सचिव, नगर विकास उ0 प्र. शासन।
4. सुश्री प्रोमिला भल्ला, एसोसिएट टीसीपी, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. श्री मनोज कुमार, उप सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
6. श्री एच0एन0पी0 कुशवाहा, अनुसचिव, पीडब्लूडी, उ0प्र0 शासन।
7. कु0 रेखा गुप्ता, निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय लखनऊ।
8. श्री चिन्तामणी, निदेशक, सूडा, लखनऊ।
9. श्री अजय शंकर पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
10. श्री वी0वी0एल0एन0 शर्मा, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ।
11. श्रीमती अजन्ता, शोध अधिकारी, नियोजन विभाग।
12. श्री अजुनधर, शोध अधिकारी, नियोजन विभाग।
13. श्री ए0के0 श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
14. श्री दिलीप सेठ, मुख्य अभियन्ता, (अप्रेजल) उ0प्र0 जल निगम।
15. श्री आर0एन0 डे, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
16. श्री बी0एल0 गौतम, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
17. श्री एस0एन0 प्रसाद, अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल जल निगम, वाराणसी।
18. श्री योगेन्द्र कुमार जैन, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, वाराणसी।
19. श्री ओ0पी0 सिंघल, अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, इटावा।
20. श्री राकेश सिंघल, अधिशासी अभियन्ता (एनयूआरएम) जल निगम, लखनऊ।
21. श्री वी0के0 सिन्हा, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम कुशीनगर।
22. श्री हंसराज, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, गोरखपुर।
23. श्री जे0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, जेएनयूआरएम, जल निगम, लखनऊ।
24. श्री अशोक कुमार, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, कन्नौज।
25. श्री जे0पी0एन0 राय, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, मिर्जापुर।
26. श्रीमती मंजु रानी गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता (जल), नगर निगम, गाजियाबाद।
27. श्री अरविन्द कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम, गोरखपुर।
28. श्री राकेश पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, जलकल, नगर निगम, गोरखपुर।
29. श्री विजेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता, एनयूआरएम, जल निगम, लखनऊ।
30. श्री खालिद अहमद, सहायक अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर।
31. श्री सरोज जासवाल, अध्यक्ष, न0पा0प0, पडरौना।
32. श्री जे0पी0 सिंह, प्रतिनिधि अध्यक्ष, न0पा0प0, आजमगढ़।
33. श्री ए0के0 सिन्हा, अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0, कन्नौज।
34. श्री निहाल चन्द्र, अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0, सीतापुर।
35. श्री जी0लाल, अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0 रामनगर (वाराणसी)।
36. श्री पी0के0 त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0 फरुखाबाद।

37. श्री मुकेश निगम, अधिशासी अधिकारी, न0पं0, फतेहपुर (बाराबंकी)।
38. श्री प्रमोद कुमार, अधिशासी अधिकारी, न0पं0, दरियाबाद, बाराबंकी।
39. श्री एस0एन0 सिंह विशेन, सहायक कर, अधीक्षक, न0पा0प0, अयोध्या।
40. श्री अमित अग्रवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, टेट्रा टेक इ0 लि0।

बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा की गयी। बैठक में सर्वप्रथम 21 निकायों की कुल 22 परियोजनाओं यथा— कन्नौज, गोरखपुर फेज-2, फर्रुखाबाद, पड़रौना (कुशीनगर), आजमगढ़, राबर्टसगंज (सोनभद्र), सुल्तानपुर, अलीगढ़, सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर), गंगापुर (बाराणसी), रामनगर (बाराणसी), गाजियाबाद सीएच-ए, सण्डीला (हरदोई) की पेयजल योजनाओं तथा ज्ञानपुर (संतरविदासनगर), फतेहपुर एवं दरियाबाद (बाराबंकी), अयोध्या (फैजाबाद), फैजाबाद, सीतापुर, बेला प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़) के सालिडवेस्ट मैनेजमेंट का प्रस्तुतीकरण उ0प्र0जल निगम एवं टेट्राटेक इण्डिया लि0 द्वारा किया गया।

2- बैठक में प्रकरण पर किये गये सम्यक् विचारोपरान्त राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा 05 परियोजनायें स्वीकृत की गयीं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1- नगर पालिका परिषद, कन्नौज की पेयजल योजना

नगर पालिका परिषद, कन्नौज द्वारा प्रस्तुत पेयजल योजना का प्रस्तुतीकरण उ0प्र0 जल निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया। उक्त पेयजल योजना रू0 1434.93 लाख लागत की उ0प्र0 जल निगम द्वारा तैयार की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान द्वारा रू0 1265.04 लाख धनराशि अनुमोदित की गयी है। अतः यह निर्णय लिया गया कि योजना का परीक्षण सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 से कराने के पश्चात जो धनराशि सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 द्वारा संस्तुत की जायेगी, तदनुसार ही समिति द्वारा भी उक्त योजना को स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2- नगर पालिका परिषद, कन्नौज की सीवरेज योजना

नगर पालिका परिषद, कन्नौज द्वारा शासन को प्रस्तुत सीवरेज योजना का प्रस्तुतीकरण उ0प्र0 जल निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया। उ0प्र0 जल निगम द्वारा उक्त सीवरेज योजना रू0 5002.00 लाख लागत की तैयार की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ द्वारा योजना पर व्यय हेतु रू0 3866.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी हैं। बैठक में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि योजना का परीक्षण सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 से कराने के पश्चात जो धनराशि सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 द्वारा संस्तुत की जायेगी, तदनुसार ही राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा भी उक्त योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में राज्य सेक्टर द्वारा संचालित योजना, जो इस योजना में सम्मिलित है, के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि, स्वीकृति की जा रही योजना की धनराशि का राज्यांश माना जायेगा।

3- नगर पलिका परिषद, रामनगर (वाराणसी) की पेयजल योजना

नगर पलिका परिषद, रामनगर (वाराणसी) द्वारा शासन को प्रस्तुत पेयजल योजना का प्रस्तुतीकरण उ०प्र० जल निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया। बैठक में विचारोपरान्त यह पाया गया कि उ०प्र० जल निगम द्वारा उक्त पेयजल योजना रू० 679.19 लाख लागत की तैयार की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ द्वारा रू० 674.80 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है। समिति द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि योजना का परीक्षण सी०पी०एच०ई०ई०ओ० से कराने के पश्चात जो धनराशि सी०पी०एच०ई०ई०ओ० द्वारा संस्तुत की जायेगी, तदनुसार ही राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा भी उक्त योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

4- नगर पंचायत, गंगापुर (वाराणसी) की पेयजल योजना

नगर पंचायत, गंगापुर (वाराणसी) की पेयजल योजना का प्रस्तुतीकरण उ०प्र० जल निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया। उक्त पेयजल योजना की लागत रू० 242.03 लाख बतायी गयी, जिसके सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ द्वारा रू० 207.20 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है। समिति द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि योजना का परीक्षण सी०पी०एच०ई०ई०ओ० से कराने के पश्चात जो धनराशि सी०पी०एच०ई०ई०ओ० द्वारा संस्तुत की जायेगी, तदनुसार ही राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा भी योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

5- नगर पंचायत, ज्ञानपुर (संतरविदासनगर) की सीवरेज योजना

बैठक में उ०प्र० जल निगम के अधिकारियों द्वारा नगर पंचायत, ज्ञानपुर (संतरविदासनगर) द्वारा शासन को प्रस्तुत की गयी सीवरेज योजना का भी प्रस्तुतीकरण किया गया। जल निगम द्वारा उक्त सीवरेज योजना की लागत रू० 1801.21 लाख बतायी गयी, जिसके सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ द्वारा रू० 1424.67 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है। बैठक में जल निगम के अधिकारियों द्वारा यह मंशा व्यक्त की गयी कि पी०एफ०ए०डी० द्वारा स्वीकृत धनराशि रू० 1424.67 लाख के स्थान पर रू० 1623.54 लाख होनी चाहिए और इस विरोधाभास को समाप्त किये जाने हेतु पी०एफ०ए०डी० से स्थिति स्पष्ट करायी जानी चाहिये। अतः यह निर्णय लिया गया कि योजना का परीक्षण सी०पी०एच०ई०ई०ओ० से कराने के पश्चात जो धनराशि सी०पी०एच०ई०ई०ओ० द्वारा संस्तुत की जायेगी, तदनुसार ही राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा भी उक्त योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार 05 परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गयी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी परियोजनाओं के डीपीआर में पीपीपी का सुस्पष्ट प्रस्ताव, कूड़ा निस्तारण की उपलब्ध विभिन्न तकनीकों का समावेश एवं उनकी प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। शेष परियोजनाओं के संबंध में योजनाओं की लागत के सापेक्ष निकाय का अंश निकाय द्वारा वहन किये जाने की क्षमता एवं निकायों की प्रतिबद्धता स्पष्ट कराकर समस्त विवरण सहित योजनाओं का प्रस्तुतीकरण अगली बैठक में कराये/किये जाने का निर्णय लिया गया।


अन्ततः बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(आलीश रंजन)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या- 8082 / नौ-5-2008-51सा / 05टीसी-
लखनऊ : दिनांक : 21 नवम्बर, 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अवलोकनार्थ उनके निजी सचिव को।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, परिवहन / पर्यावरण / वित्त / नियोजन / लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
3. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
5. निदेशक, सूडा, लखनऊ।
6. प्रतिनिधि, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. प्रतिनिधि, आईएफ डिवीजन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. प्रतिनिधि, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. प्रतिनिधि, सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. प्रतिनिधि, टी.सी.पी.ओ., भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. प्रतिनिधि, एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली।
12. निदेशक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी०एम०यू०), इन्दिरा भवन, लखनऊ।
13. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
14. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ०प्र०।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम सहाय)
अनु सचिव।

यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजनान्तर्गत प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 12.01.09 को सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम के सभागार में सम्पन्न 11वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति:-

1. श्री हरीश चन्द्रा, सलाहकार, प्लानिंग कमीशन (एचयूडी डिवीजन), नई दिल्ली।
2. श्री जे0एन0 वर्मन, संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सुश्री रेखा गुप्ता, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. श्री जी0एस0 राजपूत, विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री वी0के0 दुबे, नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
6. श्री अजय शंकर पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
7. श्री मनोज कुमार जोशी, उप सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
8. श्री एच0एन0पी0 कुशवाहा, अनुसचिव, पीडब्लूडी, उ0प्र0 शासन।
9. श्री वी0वी0एल0एन0 शर्मा, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ।
10. श्री दिनेश कुमार, उप सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. श्री ए0 वली खान, समीक्षा अधिकारी, नियोजन विभाग।
12. श्री आर0एन0 डे, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
13. श्री बी0एल0 गौतम, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
14. श्री आर0एस0 प्रचेता, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, झांसी।
15. श्री ए0एन0 श्रीवास्तव, नगर अभियन्ता (जल), नगर निगम, मुरादाबाद।
16. श्री रहमतउल्लाह, अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, गोरखपुर।
17. श्री राकेश सलवाल, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम लखनऊ।
18. श्री आर0एस0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, अम्बेडकरनगर।
19. श्री जी0ए0 फारूकी, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, अलीगढ़।
20. श्री हंसराज, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, गोरखपुर।
21. श्री रामलगन, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, फर्रुखाबाद।
22. श्री वी0के0 सिन्हा, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, कुशीनगर।
23. श्री जे0पी0एन0 राय, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, मिर्जापुर।
24. श्री सरोज जायसवाल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, पड़रौना।
25. सुश्री संगीता कुमारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अकबरपुर।
26. श्री बृजलाल प्रसाद, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, आजमगढ़।
27. श्री रमेश चन्द्र सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया।
28. श्री आर0बी0 शुक्ल, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मैनपुरी।
29. श्री डी0एस0 सक्सेना, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर।
30. श्री पी0के0 त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद।
31. श्री निहाल चन्द्र, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सीतापुर।
32. श्री कुँवर बी0एम0 सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अयोध्या।
33. श्री मुकेश निगम, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, फतेहपुर (बाराबंकी)।
34. श्री प्रमोद कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, दरियाबाद, (बाराबंकी)।
35. श्री अमित अग्रवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, टेट्रा टेक इ0 लि0।
36. श्री बी0बी0 उप्पल, टेट्रा टेक इ0 लि0।



सर्वप्रथम बैठक में भारत सरकार से आये प्रतिनिधि श्री हरीश चन्द्रा, सलाहकार प्लानिंग कमीशन (एचयूडी डिवीजन) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं० PC/H8/26/2008-HUD दिनांक 24.12.2008 की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए सभी का ध्यान Annual Plan 2008-09 में UIDSSMT योजना में अतिरिक्त ACA का Allocation रू० 2400.00 करोड़ बढ़ाये जाने की जानकारी दी गई तथा अवगत कराया गया कि UIDSSMT योजना में उत्तर प्रदेश के लिए लगभग रू० 700.00 करोड़ का Allocation की वृद्धि की गई है। यह भी अवगत कराया गया है कि प्लानिंग कमीशन के निर्देशानुसार UIDSSMT टाउन के प्रत्येक शहर के एक प्रोजेक्ट की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। अतः प्रति शहर का एक प्रोजेक्ट अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिन शहरों से अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं है, उन शहरों को प्राथमिकता दी जायेगी। इनमें भी जिन शहरों की जनसंख्या सबसे अधिक है उनको वरीयता देते हुए रू० 25.00 करोड़ तक के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जा सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने यह भी अवगत कराया कि UIG के अन्तर्गत प्रति UIG टाउन में रू० 100.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रोजेक्ट स्वीकृत किया जा सकता है तथा मथुरा में रू० 50.00 करोड़ की स्वीकृत की जा सकती है। सलाहकार प्लानिंग कमीशन (एचयूडी डिवीजन) द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि बसों के क्य के लिए भी इस योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है।

श्री जे०एन० वर्मन, संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया कि कम दरों पर प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड ऋण उपलब्ध कराता है, जिसके प्रभावी ब्याज दरें 6.75 प्रतिशत है तथा इस कार्य के लिए सम्बन्धित निकाय सीधे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को आवेदन कर सकती है। बैठक में उपस्थिति सभी नगर आयुक्तों को इससे अवगत कराया गया तथा UIG एवं UIDSSMT योजना के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले प्रोजेक्ट में निकाय अंश हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को आवेदन कर इस स्कीम का लाभ लेने का सुझाव दिया गया।

राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति की बैठक में 25 निकायों की कुल 23 परियोजनाओं तथा अतिरिक्त एजेन्डे की 02 परियोजना एवं बलिया सीवरेज की स्वीकृत परियोजना की डिजाइन एवं लोकेशन में हुए परिवर्तन का प्रस्तुतिकरण किया गया। उक्त 23 परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण उ०प्र० जल निगम द्वारा एवं 04 सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण टेट्राटेक इण्डिया लि० द्वारा किया गया। उक्त 23 परियोजनाओं में उ०प्र० जल निगम द्वारा जनद बाराबंकी की नगर पंचायत, फतेहपुर एवं दरियाबाद की सालिडवेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का प्रस्तुतिकरण नहीं किये जाने के कारण अनुमोदन की कार्यवाही नहीं हो सकी। बैठक में कुल 25 परियोजनायें राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा स्वीकृत की गयी हैं, जिनका विवरण निम्नवत है:-

1- नगर पालिका परिषद, बहराइच द्वारा प्रस्तुत पेयजल परियोजना का प्रस्तुतिकरण उ०प्र० जल निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया। उक्त पेयजल योजना रू० 2194.12 लाख की जल निगम द्वारा तैयार की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लागत रू० 1957.40 लाख अनुमोदित की गयी हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि योजना का परीक्षण सी०पी०एच०ई०ई०ओ० से कराने के पश्चात जो धनराशि मूल्यांकित की जायेगी उस मूल्यांकित धनराशि पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है।

2- नगर निगम, गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत पेयजल परियोजना का प्रस्तुतिकरण उ०प्र० जल निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया। उक्त पेयजल योजना रू० 2132.58 लाख की जल निगम द्वारा तैयार की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लागत रू० 1858.31 लाख अनुमोदित की गयी हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि योजना

228

3903.15 लाख की अनुमोदित की गयी हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि योजना का परीक्षण सी०पी०एच०ई०ई०ओ० से कराने के पश्चात् जो धनराशि मूल्यांकित की जायेगी उस मूल्यांकित धनराशि पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है।

22- नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत ड्रेनेज परियोजना का प्रस्तुतीकरण उ०प्र० जल निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया। उक्त योजना रू० 25813.060 लाख की जल निगम द्वारा तैयार की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू० 23708.42 लाख की अनुमोदित की गयी हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि योजना का परीक्षण सी०पी०एच०ई०ई०ओ० से कराने के पश्चात् जो धनराशि मूल्यांकित की जायेगी उस मूल्यांकित धनराशि पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है।

23- नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तुत ड्रेनेज परियोजना का प्रस्तुतीकरण उ० प्र० जल निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया। उक्त योजना रू० 7216.660 लाख की जल निगम द्वारा तैयार की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू० 7089.00 लाख की अनुमोदित की गयी हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि योजना का परीक्षण सी०पी०एच०ई०ई०ओ० से कराने के पश्चात् जो धनराशि मूल्यांकित की जायेगी उस मूल्यांकित धनराशि पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है।

अतिरिक्त एजेन्डा

24- नगर निगम, गोरखपुर (पार्ट-III) द्वारा प्रस्तुत पेयजल परियोजना का प्रस्तुतीकरण उ०प्र० जल निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया। उक्त योजना रू० 1327.82 लाख की जल निगम द्वारा तैयार की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू० 1337.62 लाख की अनुमोदित की गयी हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि योजना का परीक्षण सी०पी०एच०ई०ई०ओ० से कराने के पश्चात् जो धनराशि मूल्यांकित की जायेगी उस मूल्यांकित धनराशि पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है।

25- नगर पंचायत, अकबरपुर (कानपुर देहात) द्वारा प्रस्तुत पेयजल परियोजना का प्रस्तुतीकरण उ०प्र० जल निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया। उक्त योजना रू० 545.00 लाख की जल निगम द्वारा तैयार की गयी है जिसके सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू० 579.54 लाख की अनुमोदित की गयी हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि योजना का परीक्षण सी०पी०एच०ई०ई०ओ० से कराने के पश्चात् जो धनराशि मूल्यांकित की जायेगी उस मूल्यांकित धनराशि पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त अनुपूरक एजेन्डे में नगर पालिका परिषद, बलिया की सीवरज परियोजना, जो भारत सरकार द्वारा रू० 4472.31 लाख पर स्वीकृत है, के सम्बन्ध में परियोजना लागत को यथावत रखते हुए मात्र सीवर लाइनों की डिजाइन एवं लोकेशन में परिवर्तन का प्रस्ताव उ०प्र० जल निगम द्वारा समिति के समक्ष रखा गया, जिसे समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव।



उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या- 443/नौ-5-2009-51सा/05टीसी
लखनऊ : दिनांक : 16 जनवरी, 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, (श्री सिंह/श्री सहगल), नगर विकास/नगरीय रोजगार एवं शरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अवलोकनार्थ उनके निजी सचिव को।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/पर्यावरण/वित्त/नियोजन/लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
3. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
5. निदेशक, सूडा, लखनऊ।
6. प्रतिनिधि, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. प्रतिनिधि, आईएफ डिवीजन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. प्रतिनिधि, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. प्रतिनिधि, सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. प्रतिनिधि, टी.सी.पी.ओ., भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. प्रतिनिधि, एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली।
12. निदेशक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी०एम०यू०), इन्दिरा भवन, लखनऊ।
13. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
14. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र०।
- 15.- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजनान्तर्गत प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग
की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 24.01.2009
को सम्पन्न 12वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति :-

1. श्री आर0पी0 सिंह, सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सुश्री रेखा गुप्ता, निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
3. श्री एम0के0 जोशी, उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. श्री एच0एन0पी0 कुशवाहा, अनु सचिव, लोक निर्माण विभाग।
5. श्री ए0के0 श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. श्रीमती अजन्ता देवी, शोध अधिकारी, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. श्री सूरज लाल, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
8. श्री विनय पाल, अधीक्षण अभियंता, बरेली।
9. श्री के0सी0शर्मा, अधीक्षण अभियंता, जल निगम लखनऊ।
10. श्री चन्द्र मोहन, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11. श्री एस0एस0एच0 नकवी, अधीक्षण अभियन्ता, झॉंसी।
12. डा0 एस0आर0सिंह, अधिशासी अभियंता, सीतापुर।
13. श्री जे0पी0सिंह, अधिशासी अभियंता, एनयूआरएम, जल निगम, लखनऊ।
14. श्री एल0के0गुप्ता, अधिशासी अभियंता, पीलीभीत।
15. श्री जी0पी0 सोलंकी, अधिशासी अभियन्ता, कुशीनगर।
16. श्री दिनेश चन्द्रा, सहायक अभियंता, पीलीभीत।
17. श्री बृजेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, उ0प्र0 जल निगम।
18. श्री सौरभ सुमन, सहायक अभियन्ता, कुशीनगर।
19. श्री राकेश यादव, सहायक अभियन्ता, न0पा0प0, बुलन्दशहर।
20. श्री जावेद अख्तर, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम।
21. श्री अशोक कुमार, नामित अधिकारी, सीटीसीपी।
22. श्री एस0बी0एल0 भटनागर, अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0 औरैया।
23. श्री राजीव भार्गव, अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0, हरदोई।
24. श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0, महोबा।
25. श्री हेमराज, अधिशासी अधिकारी, दादरी, न0पा0प0, गौतमबुद्धनगर।
26. श्री निहाल चन्द्र, अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0, सीतापुर।
27. श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, महोबा।
28. श्री ए0के0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, बरेली।
29. श्री एम0पी0 सिन्हा, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, बॉदा।
30. श्री एम0एल0 अग्रवाल, उ0प्र0 जल निगम, हमीरपुर।
31. श्री विवेकानन्द सिंह, अवर अभियन्ता, न0पा0प0, खलीलाबाद।
32. श्री सन्तोष सिंह राठौर, अवर अभियन्ता, न0पा0प0, कर्वी, चित्रकूट।
33. श्री पी0डी0 जायसवाल, अवर अभियन्ता, न0पा0प0, बिजनौर।
34. श्री अशोक आनन्द, अवर अभियन्ता, उरई।

PMU
3/2/09
JR (9)


बैठक में 23 निकायों की कुल 21 परियोजनाओं तथा अतिरिक्त एजेन्डे की 01 परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिनमें से 19 परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण उ०प्र० जल निगम द्वारा एवं 01 नगर पालिका परिषद, बेला प्रतापगढ़ की ड्रेनेज परियोजना का प्रस्तुतीकरण सलाहकार, टेद्राटेक इण्डिया लि० द्वारा किया गया। उक्त 23 परियोजनाओं में से उ०प्र० जल निगम द्वारा नगर पालिका परिषद, बिजनौर की सीवरेज, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर की सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट तथा नगर पंचायत फतेहाबाद (आगरा) की पेयजल योजना का प्रस्तुतीकरण नहीं किये जाने के कारण अनुमोदन की कार्यवाही नहीं हो सकी। बैठक में निम्न 20 परियोजनाओं पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना की लागत का परीक्षण "प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन" द्वारा किये जाने के पश्चात सी०पी०एच०ई०ओ०, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत पर ही समिति द्वारा परियोजना स्वीकृत की गयी है। समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना लागत
1.	न०पा०प०, पीलीभीत	पेयजल	1562.61
2.	न०पा०प०, खलीलाबाद (संतकबीर नगर)	पेयजल	583.32
3.	न०पा०प०, औरैया	पेयजल	1419.74
4.	न०पा०प०, हरदोई	पेयजल	3729.49
5.	न०पा०प०, शाहजहाँपुर पार्ट-॥ (जोन-3, जोन-9)	पेयजल	1371.31
6.	न०पा०प०, कासगंज (काशीरामनगर)	पेयजल	2382.80
7.	न०पा०प०, सीतापुर (संशोधित)	पेयजल	1738.54
8.	न०पा०प०, दादरी (गौतमबुद्ध नगर)	पेयजल	2805.70
9.	न०पा०प०, उरई (जालौन)	पेयजल	2906.31
10.	न०पा०प०, राठ (हमीरपुर)	पेयजल	1669.69
11.	नगर पंचायत, मंझनपुर (कौशाम्बी)	पेयजल	432.63
12.	नगर पंचायत, बबेरू (बांदा)	पेयजल	410.24
13.	न०पा०प०, बड़ौत (बागपत) (संशोधित)	पेयजल	1547.239
14.	न०पा०प०, हाथरस (संशोधित)	पेयजल	2166.88
15.	नगर निगम, बरेली (संशोधित)	पेयजल	4309.00
16.	न०पा०प०, महोबा	सीवरेज	8397.84
17.	न०पा०प०, फतेहपुर	सीवरेज	16371.00
18.	नगर निगम अलीगढ़ (संशोधित)	ड्रेनेज	6190.65
19.	न०पा०प०, बेला प्रतापगढ़	ड्रेनेज	4017.82
अतिरिक्त एजेन्डा			
20.	न०पा०प०, कर्वी (चित्रकूट)	पेयजल	1820.76
		कुल योग	65833.569

तालिका के क्रमांक- 18 व 19 पर उल्लिखित नगर निगम, अलीगढ़ एवं नगर पालिका परिषद, बेला प्रतापगढ़ की परियोजनाएं इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित की गयीं कि उक्त निकायों में सीवरेज व्यवस्था न होने के कारण ड्रेनेज का गंदा पानी नदियों को प्रदूषित न करे। इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ले लिया जाये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(अलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या- 980 / नौ-5-2009-51सा / 05टीसी
लखनऊ : दिनांक : 02 फरवरी, 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, (श्री सिंह/श्री सहगल), नगर विकास/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अवलोकनार्थ उनके निजी सचिव को।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/पर्यावरण/वित्त/नियोजन/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, सूडा, लखनऊ।
6. प्रतिनिधि, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. प्रतिनिधि, आईएफ डिवीजन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. प्रतिनिधि, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. प्रतिनिधि, सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. प्रतिनिधि, टी.सी.पी.ओ., भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. प्रतिनिधि, एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली।
12. निदेशक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी0एम0यू0), इन्दिरा भवन, लखनऊ।
13. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
14. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।